I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB KARNAL **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 01/06/2021 12:38 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 18/07/2016 **Date To (दिनांक तक):** 13/07/2019

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 10:00 hrs **Time To (समय तक):** 17:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/06/2021 **Time (समय):** 12:17 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 01/06/2021 12:17 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-WEST, 145 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): तहसील उचाना कलां ज़िला जीन्द,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक कनुप्रिया

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 08/01/1981 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

थाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	karnal, KARNAL SADAR, KARNAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	karnal, KARNAL SADAR, KARNAL, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुभाष पटवारी			1. तहंसील उचाना कलां जिला जीन्द,UCHANA,JIND,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

थाना स्टेट विजिलैंस ब्यूरो हरियाणा
करनाल मण्डल, करनाल

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

तहरीर प्रारम्भिक जांच क्रमांक 01 दिनांक 05.12.2019 जीन्द। सेवा में, श्रीमान, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल, निवेदन है कि आज मन निरीक्षक हाजिर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल उपस्थित हूँ इसी समय एक अन्तिम रिपोर्ट प्रारम्भिक जाँच क्रमांक 01 दिनांक 05.12.2019 जीन्द बजरिया डाक अभियोग पंजीकृत करने हेतू मन निरीक्षक को प्राप्त हुई है। यह प्रारम्भिक जाँच अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग पंचूकला के यादि क्रमांक 62/109/2019-4चौ0-I/201902071 दिनांक 02.12.19 द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 18917/I-5/SVB(H) दिनांक 06.12.19 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक रा0चौ0ब्यूरो करनाल के डायरी न0. 1501 दिनांक 09.12.19 के अनुसार प्राप्त हुई थी। जिसकी पडताल निरीक्षक बलवान सिंह, रा0चौ0ब्यू0 उपकेन्द्र जीन्द द्वारा की जाकर अन्तिम रिपोर्ट कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरों, करनाल के पत्र क्रमांक 833 /रा0चौ0ब्यूरो/करनाल दिनांक 29.06.2020 अनुसार मुख्यालय राज्य चैकसी ब्यूरों पंचकुला भिजवाई गई थी। जिसमें जेरधारा 7,13(1)बी0 पी0सी0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। जिस बारे अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पृष्ठाकंन क्रमांक 66/109/2019-4चौ0-II दिनांक 10.05.2021 व कार्यालय महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरों पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 7296/आई-5/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 13.05.2021 अनुसार उपरोक्त जाँच की अन्तिम रिपोर्ट पर अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए है। जिसकी अन्तिम जाँच रिपोर्ट का अध्ययन करने पर पाया गया कि शिकायतकर्ता श्री तेजबीर दलाल पुत्र स्व0 श्री हरिचन्द दलाल जाति जाट वासी म0न0 25 गली न0 11-12 सुखबीर नगर कराला दिल्ली ने आरोप लगाया था कि जब भी वह अपनी जमीन का इंतकाल दर्ज करवाने के लिए श्री सुभाष पटवारी राजस्व विभाग तहसील उचाना कलां जिला जीन्द के पास गया आरोपी पटवारी ने उससे काम के बदले रिश्वत मांगी व शिकायतकर्ता से कुल 2000 रूपये बतौर रिश्वत लेकर श्री सुभाष पटवारी द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। जिस बारे निरीक्षक बलवान सिंह, रा0चौ0ब्यू0, उपकेन्द्र जीन्द द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि एक सिविल सुट न0 145 ऑफ 2012-15 के तहत माननीय न्यायालय श्री खत्री सौरभ ए0सी0जे0 नरवाना द्वारा एक फैसला रोशनी बनाम सतीश वगैराह में दिया था। जिसमें कुल 5 बराबर हक में गांव खटकड व गांव मोहनगढ जिला जीन्द में स्थित जमीन के इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। जिस पर दिनांक 18.07.2016 को परिवादी की मौसी गीता की तरफ से गांव खटकड व गांव मोहनगढ की जमीन के इन्तकाल दर्ज करने के लिये तहसीलदार उचाना को प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर गांव खटकड के तत्कालीन पटवारी द्वारा दिनांक 08.11.2016 को बाहुक्म अदालत गांव खटकड की जमीन का ईन्तकाल दर्ज कर दिया गया। गांव मोहनगढ के तत्कालीन पटवारी द्वारा उस समय गांव मोहनगढ की जमीन के ईन्तकाल दर्ज नही किये गये। वर्ष 2019 में परिवादी को इस बात का तब पता चला वह अपनी जमीन पर घरेलू झगडा होने के कारण गांव मोहनगढ की जमीन के ईन्तकाल की फर्द लेने के लिये तहसील उचाना में गया तब दिनांक 01.04.2019 को इस जमीन का ईन्तकाल दर्ज करवाने के लिये परिवादी द्वारा नई अर्जी लगाई। जो दिनांक 18.04.2019 को तहसीलदार उचाना ने इस जमीन का इन्तकाल करने की अर्जी को गांव मोहनगढ के पटवारी सुभाष को मार्क कर दी। लेकिन फिर भी हल्का पटवारी सुभाष ने ईन्तकाल नही किया। सुभाष पटवारी परिवादी के बार-बार चक्कर कटवाने लगा व कम्पयुटर आप्रेटर द्वारा कम्पयुटराईज ईन्तकाल दर्ज ना करने का हवाला दिया। जिस पर परिवादी अदालत के आदेश की प्रति पटवारी को पेश की उसके बाद परिवादी दिनांक 24.06.2019 को इस सम्बन्ध में सुभाष पटवारी के कार्यालय कमरा न0. 203 प्रथम तल तहसील उचाना में गए तो गांव मोहनगढ के सुभाष पटवारी ने कहा की मैने कम्पयुटर आप्रेटर को 500 रू0 दिए है। आप मुझे वो रूपये देकर जाओ जिस पर परिवादी द्वारा 500 रू0 सुभाष पटवारी को उसके कार्यालय कमरा न0. 203 प्रथम तल तहसील उचाना में दिनांक 24.06.2019 को दे दिए। जिसकी विडियों रिकोर्डिंग परिवादी ने पेश कर दी है। इसके बाद सुभाष पटवारी ने परिवादी को ईन्तकाल दर्ज होने की जानकारी दी इसके बाद जब परिवादी दिनांक 16.07.2019 को ईन्तकाल की प्रति लेने के लिए सुभाष पटवारी के पास गए तो उसने ईन्तकाल के प्रति पेज 100 रू0 के हिसाब से कुल 400 रू0 व दोबारा कम्पयुटर आप्रेटर के नाम पर 500 रू0 की मांग की जिस पर कुल 1000 रू0 परिवादी द्वारा उसके कार्यालय कमरा न0. 203 प्रथम तल तहसील उचाना में सुभाष पटवारी को दिनांक 16.07.2019 में दे दिए। जिसमें उसने परिवादी को 400 रू0 की किसी भी प्रकार की कोई रसीद नही दी। जो अब तक परिवादी की तरफ से कुल 1500 रू0 सुभाष पटवारी को दिए जा चुके है। सुभाष पटवारी ने परिवादी को ईन्तकाल की प्रति दिनांक 16.07.19 को दी थी जिसकी इन्ट्री दिनांक 13.07.19 में सुभाष पटवारी द्वारा दर्शाई गई थी। जिससे स्पष्ट होता है कि पटवारी यह सब जानबुझकर कर रहा था परिवादी द्वारा दी गई दुसरी ऑडियों/विडियों रिकोर्डिंग जिसमें आरोपी पटवारी परिवादी से कम्पयुटर आप्रेटर के नाम पर 500 रूपयें मांग रहा है। विडियों रिकॉर्डिंग में आरोपी पटवारी को 500 रूपये लेकर अपनी जेब में डालते हुए साफ देखा जा सकता है। अतः प्रारम्भिक जाँच क्रमांक 01 दिनांक 05.12.2019 जीन्द की उपरोक्त अन्तिम जाँच रिपोर्ट से आरोपी सुभाष पटवारी, राजस्व विभाग उचाना कंला जिला जीन्द के विरूद्व सरेदस्त सूरत जुर्म जेरधारा 7,13(1)बी0 भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 का घटित होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराए करने मुकदमा दर्ज अरसाल थाना है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके अभियोग के अनुसन्धान हेतू दूसरा अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त किया जाए। स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से ईलाक मैजिस्टेªट व अफसरानबाला को भेजी जाए। अज थानाः- थाना राज्य चैकसी ब्यूरो, करनाल। Sd कनुप्रिया 01/06/2021, निरीक्षक कनूप्रिया, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। अज थाना:- उपरोक्त तहरीर पर कायमी मुकदमा नं0 05 दिनाँक 01.06.2021 धारा 7,13(1)बी0 पी0सी0 एक्ट, थाना राज्य चौक्सी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब जीन्द को बजरियां E-Mail से सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी तफतीश हेतू हवाले निरीक्षक उमर मोहम्मद न0 318/आर0आर0 के कि गई है। उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक कनुप्रिया की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Umar Mohammad **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 105PPT **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)** or (या)

स्टेट विजिलैंस ब्यूरो हरियाणा थाना ★ करनाल मण्डल, करनाल ★

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

थाना स्टेट विजिलैंस ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KANUPRIYA

Rank (पद): INSPECTOR

No. (सं.):

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	17/07/1975				Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोडेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	Place of (का स्थान) Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused. (यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)